समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री रमेश प्रसाद रंजन पे0 स्व0 दशरथ राम, ग्राम+पो0 छातापुर, जिला सुपौल (सम्प्रति- अपर सचिव, खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना) के नाम से एक दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1992(उदाकिशुनगंज थाना) निर्गत है एवं उस अनुज्ञप्ति पर दो नाली बन्दुक सं0-9867 धारित है। इन्होंने दिनांक 27-10-2014 को समर्पित आवेदन में अंकित किया है कि कई महत्त्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहने, विधि-व्यवस्था, चुनाव एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यो के निष्पादन में व्यस्त रहने के कारण वर्ष 2009 के बाद अपने बन्दुक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करवा सके हैं। उक्त अनुज्ञप्ति को अगामी वर्षो के लिए नवीकरण करने का अनुरोध किया गया है।

श्री रंजन से प्राप्त आवेदन के आलोक में शस्त्र कार्यालय में संधारित अनुज्ञप्ति पंजी, समय-समय पर वर्षवार शस्त्रों का किए गए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, नवीकरण एवं निरीक्षण पंजी की जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि वर्ष-2009 के बाद इन्होंने अपने शस्त्र का नवीकरण एवं निरीक्षण नहीं कराए हैं। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 319/श0, दिनांक 17-11-2014 के द्वारा कारण पृच्छा की गई, जिसके अनुपालन में अपने पत्रांक 4211/एम, दिनांक 24-11-2014 के द्वारा कारण पृच्छा का जबाव दाखिल किया गया है। जबाव आवेदन में पूर्व आवेदन में अंकित बातों को पुनर्रावृत्ति की गई है। इनका यह कहा जाना कि सरकारी कार्य व्यवस्तता के कारण शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करा पाए हैं, किसी भी तरह से उचित प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सक्षी तरह के अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु डाटा बेस प्रपत्र भरकर अनुज्ञप्तिधारी स्वयं संबंधित थाना में उपस्थित होकर शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस प्रपत्र जमा करने हेतु तिथि 04-10-2013 एवं 05-10-2013 निर्धारित करते हुए आम सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया था। कतिपय कारणों से छुटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अलग से भौतिक सत्यापन की तिथि 19-10-2013 निर्धारित की गई थी। प्रखंड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज एवं थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज से प्राप्त संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रंजन थाना में उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं। साथ ही छान-बीन के कम में यह भी पाया गया कि वर्ष 2009 से लेकर भौतिक सत्यापन कराए जाने की तिथि तक में अपने शस्त्र का नवीकरण/ निरीक्षण हेतु कभी भी कोई आवेदन कार्यालय में समर्पित नहीं किया है और न ही कोई प्रयास किया गया है, जो उनके लापरवाही को दर्शाता है। सरकारी कार्यो की व्यस्तता एक बहाना मात्र है। यदि ये अपने अनुज्ञप्ति को जीवित रखना चाहते तो उपरोक्त निर्धारित तिथियों में से किसी एक तिथि को उपस्थित होकर अपने अनुज्ञप्ति को नवीकृत एवं शस्त्र को निरीक्षित करवा सकते थे, जो इनके द्वारा नहीं करवाया गया है। साथ ही ये एक सरकारी पदाधिकारी हैं, जिन्हें शस्त्र नियमों की समुचित जानकारी है। फिर भी वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक में नवीकरण नहीं कराए हैं और न ही समय-समय पर शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराए हैं। यहाँ तक की विलंबित अवधि का इनके द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क ही जमा किए हैं। शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत नवीकरण एवं निरीक्षण कराने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाने का प्रावधान है। इन्होंने अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप अपने पदस्थापन स्थान के लिए नवीकरण एवं

निरीक्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करवा लेना चाहिए था, जिसके लिए इनके द्वारा कभी भी शस्त्र कार्यालय, मधेपुरा में आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और न ही इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। शस्त्र निबमावली-1962 के नियम- 54(4) में उल्लेख किया गया है कि " The licensing authority may consider an application for renewal of a licence, if this period between the date of its expiry and the date of application is not, in his opinion, unduly long with due regard to the circumstances of the case, and all renewal fee for the intervening priod are paid; otherwise the application may be treated as one for grant of a fresh licence." उपरोक्त उद्धरण के अनुसार भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विलंबित अवधि का शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण शुल्क पूर्व में चालान के माध्यम से जमा नहीं किए हैं, और न ही इस संदर्भ में कोई साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। इससे स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति शर्त्तो एवं शस्त्र नियमावली का उल्लंघन किया है, जिसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। इस तरह अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त जबाव आवेदन संतोषजनक नहीं माना जा सकता है।

अतएव उपरोक्त तथ्यालोक में श्री रमेश प्रसाद रंजन पे0 स्व0 दशरथ राम, ग्राम+पो0 छातापुर, जिला सुपौल (सम्प्रति- अपर सचिव, खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना) के नाम से निर्गत दो नाली बन्दुक अनुज्ञप्ति सं0-02/1992(उदाकिशुनगंज थाना) को रद्द किया जाता है। अनुज्ञप्तिधारी श्री रंजन को आदेश दिया जाता है कि उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित बन्दुक सं0-9867 को बिहार गन हाउस, मधेपुरा अथवा निकटतम गन हाउस में जमा करते हुए जमा पर्ची की छायाप्रति एवं मूल अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र कार्यालय, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

व्यवस्थापक, मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा/ निकटतम गन हाउस को आदेश दिया जाता है कि वे श्री रंजन के द्वारा शस्त्र जमा करने पर शस्त्र सुरक्षित जमा लेते हुए उसकी पावती रसीद जिला शस्त्र कार्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री रंजन के द्वारा शस्त्र जमा करने संबंधी पावती रसीद एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0-02/1992(उदाकिशुनगंज थाना) मूल अनुज्ञप्ति पुस्त में जमा करने करने के पश्चात् उनके अनुज्ञप्ति पुस्त एवं तत्संबंधी अनुज्ञप्ति पंजी में "रद्द" इन्द्राज करवा कर हस्ताक्षर करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....344...../शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक.....26-12-2024

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री रमेश प्रसाद रंजन पे0 स्व0 दशरथ राम, ग्राम+पो0 छातापुर, जिला सुपौल (सम्प्रति- अपर सचिव, खान एवं भूतत्त्व विभाग, बिहार, पटना)/ व्यवस्थापक, मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा/ निकटतम गन हाउस को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल दंडाधिकारी, उदाकिशुनगंज/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/12/24

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।